न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 770/2023

अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र श्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धन्नी पत्नी तुलछाराम (माता सन्तलाल) जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
4. प्रियंका पुत्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 46/38 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 9.7230 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि मृतक रमेश पुत्र तुलछाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त वादी की पैतृक दादा लाई कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की दादी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी की माता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज सदस्यों के सामने अपने पौत्र/पुत्र के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भाई के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है वाद हक हिस्सा उपरोक्त भूमि में वादी अकेला काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:40:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा मृतक रमेश पुत्र तुलछाराम का नाम कलमजन करवाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा दे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल–आजकल करते रहे अंत में साफ इन्कार हो गया। इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की मृतक रमेश पुत्र तुलछाराम का नाम कलमजन करवाकर वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2077–80 रोही मौजा टिडियासर खाता संख्या 46/38 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र रमेश प्रदर्श–2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श–3, शपथ पत्र बाबत वारिसान प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता रमेशकुमार पुत्र तुलछाराम के नाम दर्ज है वादी के पिता रमेशकुमार पुत्र तुलछाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रक[illegible] रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 207[illegible] [illegible]ख्या 46/38 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 9.7230 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि [illegible]क रमेश पुत्र तुलछाराम के नाम दर्ज राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी के पिता रमेशकुमार पुत्र तुलछाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसनामा एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक रमेशकुमार पुत्र तुलछाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 46/38 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 9.7230 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक रमेश पुत्र तुलछाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:11 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 770/2023

अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र श्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. धन्नी पत्नी तुलछाराम (माता सन्तलाल) जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
2. कमला पत्नी रमेश कुमार जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
3. रोशनी पुत्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
4. प्रियंका पुत्री रमेश कुमार जाति जाट निवासी टीडियासर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 770 सन 2023 निर्णय दिनांक 30/10/2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा टीडियासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 46/38 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 9.7230 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में मृतक रमेश पुत्र तुलछाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:10:11 IST
Reason: SelfAttested